

(भारत के राजपत्र असाधारण भाग I, खंड (I) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011

सार्वजनिक सूचना सं. 13 / 2015-2020

नई दिल्ली, दिनांक: 12th जुलाई, 2021

विषय: प्रक्रिया पुस्तक 2015-2020 के एएनएफ 2ज और एएनएफ 2झ के प्रारूप में संशोधन-विनियामक अनुपालन बोझ को कम करने के संबंध में।

विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार प्रक्रिया पुस्तक 2015-20 के एएनएफ 2ज (मुक्त बिक्री और वाणिज्य प्रमाण पत्र के लिए आवेदन और एएनएफ 2झ (चिकित्सा उपकरणों/यंत्रों को छोड़कर मर्दों हेतु मुक्त बिक्री और वाणिज्य प्रमाण पत्र हेतु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन) के प्रारूपों को पूर्व के एएनएफ 2ज और एएनएफ 2ठ में घोषणा/वचनबद्धता के क्रम सं. 4 के अंतर्गत आरसीएनसी विवरण क्रम सं. 8 पर आरसीएमसी से संबंधित घोषणा प्रस्तुत करने की आवश्यकता को हटा कर संशोधित करते हैं।

2. प्रक्रिया पुस्तक 2015-2020 के एएनएफ 2ज और एएनएफ 2झ के संशोधित प्रारूप क्रमशः अनुलग्नक-I और अनुलग्नक-II के रूप में संलग्न है।

3. सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: प्रक्रिया पुस्तक 2015-2020 के एएनएफ 2ज और एएनएफ 2झ के संशोधित प्रारूपों को विनियामक अनुपालन बोझ को कम करने के लिए उठाए गए कदम के रूप में अधिसूचित किया गया है।

अमित यादव
12/07/2021
(अमित यादव)

महानिदेशक विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई-मेल : dgft@nic.in

(फा.सं. 01/89/180/37/एएम-20/पीसी-2(ए)/ई-26575 से जारी)

मुक्त बिक्री और वाणिज्य प्रमाण पत्र के लिए आवेदन

1. फर्म/कंपनी का नाम :
2. पंजीकृत कार्यालय/शाखा का पता :
 - (i) दूरभाष सं.
 - (ii) फैक्स सं.
 - (iii) ई-मेल आईडी
3. आयातक निर्यातक कोड सं.
 - (i) कोड सं.
 - (ii) जारीकर्ता प्राधिकारी का नाम और पता
4. आवेदन शुल्क विवरण
 - (i) राशि रुपये में
 - (ii) डिमांड ड्राफ्ट/बैंक रसीद/इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण सं.
 - (iii) जारी/अंतरित करने की तिथि
 - (iv) आहरित बैंक का नाम और शाखा
5. निर्यात का संक्षिप्त विवरण
 - (i) विदेशी खरीदारी के पूर्ण पते; ई-मेल इत्यादि सहित विवरण
 - (ii) प्रमाण पत्र के तहत निर्यात की जाने वाली मदों का संक्षिप्त विवरण
6. क्या मदे औषध एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 के अंतर्गत आती है। यदि हां तो इसका उल्लेख करें।
7. मदों का ब्योरा जिनके लिए मुक्त बिक्री और वाणिज्य प्रमाण पत्र मांगा गया है (विधिवत रूप से स्वयं प्रमाणित अनुलग्नक क को संलग्न करें)

(हस्ताक्षर)

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम और पद
कंपनी की मुहर

घोषणा / वचनबद्धता

1. मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि अनुलग्नक क में सूचीबद्ध मदें
 - i. आईटीसी (एचएस) की अनुसूची-2 के तहत निर्यात हेतु निषिद्ध अथवा प्रतिबंधित नहीं है और निर्यात हेतु मुक्त है।
 - ii. अनुलग्नक क में सूचीबद्ध सभी मदों का चिकित्सा और शल्य चिकित्सा प्रयोजन हेतु अस्पताल, नर्सिंग होम और क्लिनिक में उपयोग है।
 - iii. उपर्युक्त सूचीबद्ध सभी मदें औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत शामिल नहीं है।

2. मैं/हम इसके द्वारा प्रमाणित करते हैं कि इस आवेदन में दिए गए विवरण और कथन सत्य और सही है और इसमें कुछ भी छिपाया या रोका नहीं गया है।

3. मैं/हम पूरी तरह से समझते हैं कि आवेदन में भरी गई सूचना गलत या असत्य पाए जाने पर मैं/हम कानून द्वारा निर्धारित या अन्यथा अनुबद्ध किसी भी दंडात्मक कार्रवाई या अन्य परिणामों के लिए उत्तरदायी रहूंगा/रहेंगे।

4. मैं/हम समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 उसके तहत बने नियमों और आदेशों, समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, प्रक्रिया पुस्तक, परिशिष्ट और आयात निर्यात प्रपत्र और आईटीसी (एचएस) के प्रावधानों के पालन की शपथ लेता हूँ/लेते हैं।

5. मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि:

क. कंपनी जिसके लिए आवेदन किया गया है, को निम्नलिखित किसी भी अधिनियम (समय-समय पर यथा संशोधित) के अधीन दंडित नहीं किया गया/दंडित किया गया है (जो लागू है उसे चुनें)

क. सीमाशुल्क अधिनियम, 1962

ख. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1994

ग. यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) 1992 और

घ. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999

ड. विदेशी मुद्रा संरक्षण, तस्करी गतिविधि निवारण अधिनियम, 1974

च. जनसंहार के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (गैर कानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम 2005

ख. कंपनी/फर्म/एचयूएफ/न्यास (जैसा भी मामला हो) का कोई भी निदेशक/साझेदार/स्वामी/कर्ता/न्यासी/एचयूएफ/न्यासी किसी अन्य कम्पनी/फर्म/संख्या जो डीजीएफटी की अस्वीकृत इकाई सूची (डीईएल) में है, का निदेशक/साझेदार/स्वामी/कर्ता/न्यासी नहीं है।

ग. न तो कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय/फर्म के मुख्यालय और न ही उसके किसी शाखा कार्यालय(यो)/यूनिट (टों)/डिविजन (नों) को चूककर्ता घोषित किया गया है और न ही नीति के किसी प्रावधान के अधीन आयात/निर्यात करने के लिए अपात्र घोषित किया गया है।

by

- घ. हमने किसी भी लाइसेंससिंग प्राधिकारी से अपने पंजीकृत /मुख्य कार्यालय के नाम से आयात निर्यातक कोड संख्या न ही प्राप्त की है और ना ही जारी करने हेतु आवेदन किया है।
6. मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने किसी भी लाइसेंससिंग प्राधिकारी को अपने पंजीकृत/मुख्य कार्यालय या किसी भी हमारे शाखा (शाखाओं)/इकाई (इकाईयों)/विभाग (विभागों) के नाम से ऐसे लाभों (आयातक निर्यातक कोड संख्या जारी करने सहित) को न ही प्राप्त किया है ना ही उनके लिए आवेदन किया है।
7. मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने आईटीसी (एचएस) की अनुसूची 2 हेतु परिशिष्ट 3 में यथा निहित स्कोमेट मदों की सूची ध्यान से देखी है और यह कि इस सूची के भीतर निर्यातित/निर्यात करने हेतु प्रस्तावित मद (मदें) नहीं आते हैं और यह कि मैं/हम विदेश व्यापार नीति, आईटीसी (एचएस) की अनुसूची 2 और प्रक्रिया पुस्तक में शामिल स्कोमेट मदों के निर्यात हेतु स्कीम जिसके तहत निर्यातित/निर्यात करने हेतु यथा प्रस्तावित मद है के बावजूद विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों का पालन करुंगां/करेंगे।
- मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मैं विदेश व्यापार नीति के पैरा 9.6 के अनुसार इस घोषणा को सत्यापित करने और हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत हूँ।

स्थान

दिनांक

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

कार्यालय का पता

दूरभाष

घर का पता

ई-मेल

टिप्पणी:

1. अनुलग्नक-क के साथ यह प्रपत्र आयात निर्यात प्रपत्र के अन्य भागों के बिना प्रस्तुत किया जाए।
2. औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के प्रमाणपत्र को जारी करने हेतु आवेदन औषधि महानिदेशक (भारत), स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, एफडीए भवन, कोटला रोड, माता सुंदरी कॉलेज के पास, आईटीओ, नई दिल्ली-110002



उत्पादों की सूची जमा करने हेतु प्रपत्र

(स्पष्ट रूप से टाइप किया जाए)

क्र. सं.	उत्पाद का नाम	आईटीसी (एचएस) कोड	विनिर्माताओं/आयातकों के नाम और पते	क्या उत्पाद विनिर्माण और बिक्री हेतु ड्रग्स एवं कॉस्मेटिकक्स अधिनियम के तहत लाइसेंस प्राप्त है	उपयोग सहित उत्पाद का विवरण (सामग्री संलग्न करें, यदि आवश्यक हो)
----------	---------------	-------------------	------------------------------------	--	---

अनुलग्नक-ख

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय

मुक्त बिक्री एवं वाणिज्य प्रमाण पत्र

अनुलग्नक (कुल मदे) के अनुसार मैसर्स (फर्म का नाम व पूरा पता) द्वारा विनिर्मित मेडिकल यंत्र और उपकरण "भारत में मुक्त रूप से निर्यात योग्य के साथ-साथ बिक्री हेतु मुक्त रूप से अनुमति प्राप्त हैं"।

यह प्रमाण-पत्र जारी करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए मान्य है।

संलग्न: उपर्युक्त

स्थान:

दिनांक:

(हस्ताक्षरकर्ता प्राधिकारी)

कृते अपर/संयुक्त महानिदेशक विदेश व्यापार

टिप्पणी: यह प्रमाण पत्र उपर्युक्त फर्म द्वारा घोषणा पर आधारित है कि अनुबंध में दिखाई गई निर्यात की वस्तुओं का उपयोग अस्पलात, नर्सिंग होम और क्लिनिक में मेडिकल सर्जिकल उद्देश्य के लिए किया जाता है और यह भी कि अनुबंध में दिखाई गई निर्यात वस्तुएं न तो प्रतिबंधित हैं और न ही निर्यात के लिए निषिद्ध हैं। उक्त फर्म की घोषणा अनुसार इसप्रमाण-पत्र में वर्णित मदे भी ड्रग्स एवं कॉस्मेटिकक्स अधिनियम, 1940 के तहत शामिल नहीं हैं।

Jay

मुक्त बिक्री हेतु आवेदन पत्र एवं मेडिकल यंत्रों/उपकरणों के अतिरिक्त अन्य मदों हेतु वाणिज्य प्रमाण-पत्र

1. फर्म/कंपनी का नाम: _____
2. पंजीकृत कार्यालय/शाखा का पता: _____
- i. दूरभाष _____ :
- ii. फ़ैक्स _____ :
- iii. ईमेल आईडी _____
3. आयातक निर्यातक कोड : _____
- i. कोड सं. _____
- ii. जारी करने वाले प्राधिकरण का नाम व पता _____
4. आवेदन शुल्क विवरण _____
- i. राशि रु में _____
- ii. डिमांड ड्राफ्ट/बैंक पावती/इलैक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सं. _____
- iii. जारी/स्थानांतरित करने की तिथि _____
- iv. जिस बैंक पर आहरित किया गया उसका नाम एवं शाखा _____
5. निर्यातों का संक्षिप्त विवरण: _____
- i. विदेशी खरीदार का पूर्ण पता, ई-मेल आईडी आदि सहित विवरण। _____
- ii. प्रमाण-पत्र के अधीन निर्यात की जाने वाली मदों का संक्षिप्त विवरण। _____
6. मुक्त बिक्री एवं वाणिज्य हेतु मदों का विवरण: _____
- प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की मांग की गई है _____
- (स्वयं प्रमाणित अनुलग्नक क संलग्न किया जाना है)



हस्ताक्षर
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम व पदनाम
कंपनी की मुहर

घोषणा/वचनबद्धता

1. मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि अनुलग्नक क में सूचीबद्ध मदें
 - I. आईटीसी (एचएस) की अनुसूची-2 के तहत निर्यात हेतु निषिद्ध अथवा प्रतिबंधित नहीं है और निर्यात हेतु मुक्त है।
 - II. मदों का निर्यात केन्द्र/राज्य सरकारों के किसी भी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों द्वारा स्थापित कानूनों/अधिनियमों के किसी भी प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करता है।

इसके अलावा हम इन मदों के निर्यात में संबंधित यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 अथवा केन्द्र/राज्य सरकारों के किसी भी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों द्वारा स्थापित किसी अन्य कानून के तहत किसी भी प्रावधानों का पालन करने हेतु वचनबद्ध है।

2. मैं/हम इसके द्वारा प्रमाणित करते हैं कि इस आवेदन में दिए गए विवरण और कथन सत्य और सही हैं और इसमें कुछ भी छिपाया या रोका नहीं गया है।
3. मैं/हम पूरी तरह से समझते हैं कि आवेदन में भरी गई सूचना गलत या असत्य पाए जाने पर मैं/हम कानून द्वारा निर्धारित या अन्यथा अनुबद्ध किसी भी दंडात्मक कार्रवाई या अन्य परिणामों के लिए उत्तरदायी रहूंगा/रहेंगे।
4. मैं/हम समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 उसके तहत बने नियमों और आदेशों, समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, प्रक्रिया पुस्तक, परिशिष्ट और आयात निर्यात प्रपत्र और आईटीसी (एचएस) के प्रावधानों के पालन की शपथ लेता हूँ/लेते हैं।
5. मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि:

क. कंपनी जिसके लिए आवेदन किया गया है, को निम्नलिखित किसी भी अधिनियम (समय-समय पर यथा संशोधित) के अधीन दंडित नहीं किया गया/दंडित किया गया है (जो लागू है उसे चुनें)

क. सीमाशुल्क अधिनियम, 1962

ख. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1994

ग. यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) 1992 और

घ. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999

ङ. विदेशी मुद्रा संरक्षण, तस्करी गतिविधि निवारण अधिनियम, 1974

च. जनसंहार के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (गैर कानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम 2005

ख. कंपनी/फर्म/एचयूएफ/न्यास (जैसा भी मामला हो) का कोई भी निदेशक/साझेदार/स्वामी/कर्ता/न्यासी/एचयूएफ/न्यासी किसी अन्य कम्पनी/फर्म/संख्या जो डीजीएफटी की अस्वीकृत इकाई सूची (डीईएल) में है, का निदेशक/साझेदार/स्वामी/कर्ता/न्यासी नहीं है।

ग. न तो कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय/फर्म के मुख्यालय और न ही उसके किसी शाखा कार्यालय(यो)/यूनिट (टों)/डिविजन (नों) को चूककर्ता घोषित किया गया है और न ही नीति के किसी प्रावधान के अधीन आयात/निर्यात करने के लिए अपात्र घोषित किया गया है।

घ. हमने किसी भी लाइसेंसिंग प्राधिकारी से अपने पंजीकृत /मुख्य कार्यालय के नाम से आयात निर्यातक कोड संख्या न ही प्राप्त की है और ना ही जारी करने हेतु आवेदन किया है।

6. मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने किसी भी लाइसेंसिंग प्राधिकारी को अपने पंजीकृत/मुख्य कार्यालय या किसी भी हमारे शाखा (शाखाओं)/इकाई (इकाईयों)/विभाग (विभागों) के नाम से ऐसे लाभों (आयातक निर्यातक कोड संख्या जारी करने सहित) को न ही प्राप्त किया है ना ही उनके लिए आवेदन किया है।

7. मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने आईटीसी (एचएस) की अनुसूची 2 हेतु परिशिष्ट 3 में यथा निहित स्कोमेट मदों की सूची ध्यान से देखी है और यह कि इस सूची के भीतर निर्यातित/निर्यात करने हेतु प्रस्तावित मद (मदें) नहीं आते हैं और यह कि मैं/हम विदेश व्यापार नीति, आईटीसी (एचएस) की अनुसूची 2 और प्रक्रिया पुस्तक में शामिल स्कोमेट मदों के निर्यात हेतु स्कीम जिसके तहत निर्यातित/निर्यात करने हेतु यथा प्रस्तावित मद है के बावजूद विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों का पालन करुंगां/करेंगे।

मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मैं विदेश व्यापार नीति के पैरा 9.6 के अनुसार इस घोषणा को सत्यापित करने और हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत हूँ।

स्थान

दिनांक

आवदेक के हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

कार्यालय का पता

दूरभाष

घर का पता

ई-मेल

टिप्पणी: अनुलग्नक-क के साथ यह प्रपत्र आयात निर्यात प्रपत्र के अन्य भागों के बिना प्रस्तुत किया जाए।



उत्पादों की सूची को प्रस्तुत करने हेतु प्रपत्र
(स्पष्ट रूप से टाइप किया जाए)

क्र.सं.	उत्पाद का नाम	आईटीसी (एचएस) कोड	विनिर्माताओं निर्यातकों का नाम और पता	क्या विनिर्माण और बिक्री हेतु केन्द्र/राज्य सरकारों के किसी मंत्रालयों/विभागों कार्यालयों द्वारा स्थापित कानूनों/अधिनियमों के प्रावधानों के तहत लाइसेंस प्राप्त उत्पाद है, यदि है तो कृपया विनिर्दिष्ट करें।	उपयोग सहित उत्पाद का विवरण (साहित्य संलग्न करें, यदि आवश्यक हो)
---------	---------------	-------------------	---------------------------------------	--	---

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

मुक्त बिक्री एवं वाणिज्य प्रमाणपत्र

मैंसर्स (कंपनी का नाम एवं पूरा पता) द्वारा विनिर्मित अनुलग्नक (कुल मदों) के अनुसार मदें भारत में मुक्त रूप से बेचे जाते हैं और मुक्त रूप से निर्यात योग्य है।

यह प्रमाणपत्र जारी होने की तिथि से दो वर्ष की अवधि हेतु वैध है।

संलग्नक: उपर्युक्तनुसार

स्थान:

दिनांक :

(हस्ताक्षरकर्ता प्राधिकारी)

कृते अपर/संयुक्त महानिदेशक विदेश व्यापार

टिप्पणी: यह प्रमाणपत्र उपर्युक्त कंपनी द्वारा दिए गए घोषणा पत्र पर आधारित है जिसमें अनुलग्नक में दर्शाए निर्यात की मदें निर्यात हेतु न तो प्रतिबंधित हैं और ना ही निषिद्ध हैं।

